लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था–3/सी–1/104/08/ 3316 भोपाल, दिनांक 17-12-2008

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिये जाने संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही।

संदर्भ :– शासन का आदेश क्रमांक 1–12/2005/20–1 दिनांक 11.11.08

00000

कृपया पत्र के साथ संलग्न शासन के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें ।

आपके जिले अंतर्गत नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिये जाने संबंधी जितने भी न्यायालयीन प्रकरण लंबित है उनका निराकरण संदर्भित पत्र में दिये निर्देशों के अनुसार तत्काल कराये एवं पालन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जो प्रकरण संदर्भित आदेश की परिधि में नहीं आते है उनमें माननीय न्यायालय निर्णय के प्रकाश में अभ्यावेदनों का निराकरण अथवा अपील की कार्यवाही तत्काल की जावे ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ क्रमांक/स्था–3/सी–1/104/08/ 3317 भोपाल, दिनांक 17-12-08

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, विधि, लोक शिक्षण (स्थानीय) की भेजकर निर्देशित किया जाता है कि शासन आदेश के परिपालन में जिले में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा मॉनिटरिंग अपने स्तर से भी करे एवं शासन निर्देशों के अनुरूप पालन की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ट जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि शासन आदेश दिनांक 11.11.08 की परिधि में आने वाले समस्त न्यायालयीन प्रकरणों को परीक्षण कर पालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराये एवं नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें।
4. विशेष सहायक मान.मंत्री/राज्यमंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल ।
6. महालेखाकार म.प्र.ग्वालियर ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन ।
8. समस्त कलेक्टर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

. मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462064

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 11/11/2008

क्रमांक एफ 1–12/2005/20–1:: राज्य शासन द्वारा वर्ष 1982–83 से वर्ष 1994–95 तक निश्चित वेतन पर नियुक्त उपशिक्षकों/सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उनकी नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान तथा परिवीक्षा अवधि में अर्जित वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर एरियर्स राशि के भुगतान की स्वीकृति न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक/एलपीए/135/04 म.प्र.शासन विरूद्ध पंकज सक्सेना में म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में शासन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित निर्णय के अध्यधीन आदेश क्रमांक/एफ–1/12/2005/20–1 दिनांक 04.08.05 के द्वारा दी गई थी।

2/ स्वीकृत वेतन वृद्धियों के कारण निर्धारित किये गये वेतन तथा उसके फलस्वरूप देय एरियर्स की राशि की गणना की जांच एरियर्स राशि के भुगतान के पूर्व संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से अनिवार्य रूप से कराये जाने एवं एरियर्स राशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराये जाने के निर्देश भी उक्त संदर्भित आदेश द्वारा दिये गये थे।

3/ म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–1/12/05/ 20–1, भोपाल दिनांक 01.06.06 द्वारा याचिका क्रमांक सीसी/5346/05 मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध पंकज सक्सेना एवं समान विषय के अन्य पांच प्रकरणों में मान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.06 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान किये जाने के कारण राज्य शासन के आदेश दिनांक 04.08.05 के अनुक्रम में उपशिक्षक/शिक्षक/सहायक शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान देने संबंधी प्रकरणों के निराकरण में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये गये थे।

4/ इस विषय पर माननीय न्यायालयों के समक्ष बड़ी संख्या में लंबित याचिकाओं एवं अवमानना मामलों से उद्भूत स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे प्रकरणों में अन्तरिम रूप से समाधान की कार्यवाही के उद्देश्य से राज्य शासन के आदेश दिनांक 01.06.06 द्वारा भुगतान की कार्यवाही पर लगायी गयी रोक विषयक उल्लेख को संशोधित करते हुये पूर्व आदेश दिनांक 04.08.05 में विहित शर्तों के अध्यधीन पालन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरन्तर...... ...2

पृ. क्रमांक/एफ 1–12/2005/20-1 भोपाल, दिनांक 11/11/20

प्रतिलिपि –

1. सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल ।
2. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. विशेष सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा भोपाल ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल।
7. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन।
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल